संख्या 1/4/2006-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
दिनांक 31 जुलाई, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-कुटुम्ब पेंशन : आत्म विमोह (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मंद बुद्धि और बहुल अशक्तताओं से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में संरक्षकों की नियुक्ति/नामांकन।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप नियम (6) के परन्तुक के नीचे दी गई मद संख्या (vi) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह प्रावधान है कि मंद बुद्धि पुत्र अथवा पुत्री के मामले में कुटुम्ब पेंशन, सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नामित किसी व्यक्ति को देय होगी और यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी द्वारा अपने जीवनकाल में कार्यालय अध्यक्ष के समक्ष ऐसा कोई नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वह बाद में ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति अथवा कुटुम्ब पेंशनभोगी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नामित किसी व्यक्ति को देय होगी। इस संबंध में भारत सरकार के अनुदेश इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के का.ज्ञा.संख्या-1/47/87-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(सी) में निहित हैं और जिसके उद्धरण केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के नीचे भारत सरकार के निर्णय संख्या 8 में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं जो आगे यह प्रावधान करते हैं कि संरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र/संरक्षकों की नियुक्ति मंजूर किए जाने के संबंध में मौजूदा शर्तें, शारीरिक रूप से विकलांग/अशक्त ऐसे बच्चों, जो नाबालिग हैं और ऐसे बच्चों, जो किसी प्रकार की मस्तिष्क संबंधी अशक्तता से पीड़ित हैं, के संबंध में लागू बनी रहेंगी चूंकि वे न्यायालय से संरक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, संरक्षक की नियुक्ति किए जाने के प्रयोजन से मौजूदा कानून के दायरे में आते हैं।

2. आत्म विमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मंद बुद्धि और बहुल अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए संसद ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999 की संख्या-44) पारित किया है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 14, उपर्युक्त अशक्तताओं से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा संरक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करती है। तथापि, यह बात, इस विभाग के नोटिस में लाई गई है कि उपर्युक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए संरक्षक संबंधी प्रमाण-पत्र, प्राय: कुटुम्ब

पेंशन की मंजूरी के लिए स्वीकार नहीं किए जाते चूंकि पेंशन नियमावली में इस आशय के कोई प्रावधान मौजूद नहीं हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत संरक्षण प्रमाण-पत्र, संसद द्वारा पारित कानून के प्राधिकार से जारी किया जाता है, अत: ऐसे प्रमाण-पत्र को उपर्युक्त अशक्तताओं से पीड़ित व्यक्तियों जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम में शामिल किया गया है, के संबंध में कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से, संरक्षक के नामांकन/नियुक्ति हेतु स्वीकार किया जाए।

(गीता नायर)
अवर सचिव, भारत सरकार

वितरण -

मानक डाक सूची के अनुसार।